रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 2

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 326] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 1972/आषाढ़ 16, 1894

No. 326] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 1972/ASADHA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 7th July 1972

S.O. 479(E).—In exercise of the powers conferred by section 38 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970) the Central Government hereby makes the following order, nomely,—

1. (1) This Order may be called the State of Himachal Pradesh (Transfer of Assets and Liabilities) Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. In this Order—

(a) "composite State of Punjab" shall mean the State of Punjab as it existed immediately before the 1st day of November, 1966;

(b) "transferred territory" means the transferred territory as defined in clause (n) of section 2 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966).

3. So much of the benefit or burden of any assets (including lands and buildings), rights, liabilities or obligations of the composite State of Punjab, which devolved on the Union under the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966) as successor State in relation to the transferred territory, as was allocated to the Administrator or the Government of the Union territory of Himachal Pradesh before the 25th day of January 1971 by an order of the Central Government or on the basis of agreement among the successor States under the said Act, shall, on and from that day, stand transferred to the State of Himachal Pradesh.

Provided that if such allocation was made subject to any conditions, such conditions shall continue to apply *mutatis mutandis*.

4. On and from the commencement of this order, the investments of the composite State of Punjab allocated to the Union as a successor State in relation to the transferred territory and actually held by the Union immediately before that day, shall stand transferred to the State of Himachal Pradesh.

5. Where any asset or liability of the composite State of Punjab was allocable among the successor States under the provisions of Part VI or Part VII of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), and such allocation was not made before the 25th day of January 1971, the State of Himachal Pradesh shall, on and from that day be deemed to be a successor State for purposes of the said provisions and such asset or liability shall be allocated accordingly.

6. The benefit of any rights or the burden of any liabilities devolving on the Union in relation to the transferred territory under the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), on or after the 25th day of January 1971 shall, on and from that day, pass to the State of Himachal Pradesh.

7. For the purposes of paragraphs 5 and 6 of this order, the provisions of section 2 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), shall have effect as if—

(i) for clause (i), the following clause had been substituted, namely,—

"(i) 'population ratio', in relation to the States of Haryana, Punjab and Himachal Pradesh and the Union, means the ratio of 37.38 to 54.84 to 7.19 to 0.59."

(ii) for clause (m), the following clause had been substituted, namely,—

"(m) 'successor State', in relation to the existing State of Punjab, means the State of Punjab or the State of Haryana or the State of Himachal Pradesh and includes also the Union in relation to the Union territory of Chandigarh;"

[No. F. 12(12)-B/71.]

B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

आदेश

नयी दिल्ली, 7 जुलाई, 1972

का० आ० 470(अ).—हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 19 0 (1970 का 53 वां) के खण्ड 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को हिमाचल प्रदेश राज्य (परिसम्पत्तियों और दायित्वों का अन्तरण) आदेश, 19 कहा जायेगा।

(2) यह आदेश तुरन्त लागू हो जायेगा।

2. इस आदेश में :—

(क) "संयुक्त पंजाब राज्य" का तात्पर्य उस पंजाब राज्य से है जैसा कि वह पहली नवम्बर, 1966 से तुरन्त पहले अस्तित्व में था,

(ख) "अन्तरित क्षेत्र" का तात्पर्य उस अन्तरित क्षेत्र से है जिसकी व्याख्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31वां) के खण्ड 2 की धारा (ढ) में की गयी है।

3. अंतरित क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी राज्य के रूप में, संयुक्त पंजाब राज्य की ऐसी किन्हीं परिसम्पत्तियों (भूमि और भवनों) सहित, अधिकारों, देनदारियों या दायित्वों—जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31 वां) के अधीन संघ के सुपुर्द हों—का उत्तर

तान प्रबन्ध भाग जो केन्द्रीय सरकार के [illegible] के अधीन उत्तराधिकारी राज्यों के बीच हुए करार के आधार पर 25 जनवरी, 1971 से पूर्व हिमाचल प्रदेश के प्रशासक या सरकार को निर्धारित हुआ हो, उस तारीख को और उस तारीख से हिमाचल प्रदेश राज्य को अंतरित हो जाएगा।

परन्तु यह है कि यदि ऐसा निर्धारण किन्हीं शर्तों के अधीन किया गया हो तो ऐसी शर्तें आवश्यक परिवर्तन सहित लागू रहेंगी।

4. इस आदेश के प्रारम्भ होने पर और उसके प्रारम्भ होने से, अन्तरित क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी राज्य के रूप में संघ को आबंटित संयुक्त पंजाब राज्य के निधि और उस दिन से ठीक पहले संघ द्वारा वास्तव में धारित निधि, हिमाचल प्रदेश राज्य को अन्तरित माने जायेंगे।

5. जहां पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31वां) के भाग vi या Vii के उपबन्धों के अधीन संयुक्त पंजाब राज्य की कोई परिसम्पत्ति या दायित्व उत्तराधिकारी राज्यों में आपस में आबंटनीय हो और ऐसा आबंटन 25 जनवरी, 1971 से पहले न किया गया हो, वहां हिमाचल प्रदेश राज्य उस तारीख को और उस तारीख से उपबन्धों के प्रयोजन के लिए उत्तराधिकारी राज्य समझा जायेगा और ऐसी परिसम्पत्ति या दायित्व का आबंटन तदनुसार कर दिया जायेगा।

6. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31 वां) के अधीन अन्तरित क्षेत्र के के सम्बन्ध में, 25 जनवरी, 1971 को या उसके बाद, उत्तराधिकार के रूप में संघ को प्राप्त किन्हीं अधिकारों के लाभ या दायित्वों का भार, उस तारीख को और उस तारीख से, हिमाचल प्रदेश सरकार को अन्तरित हो जायेगा।

7. इस आदेश के पैराग्राफ 5 और 6 के प्रयोजन के लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31वां) की धारा 2 के उपबंध इस प्रकार से प्रभावी होंगे जैसा कि :—

(i) धारा (ग) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी गयी थी अर्थात्:—

"(i) हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के राज्यों और संघ के सम्बन्ध में "जनगणना अनुपात" का तात्पर्य 37.38 : 54.84 : 7.19 : 0.59 का अनुपात है।"

(ii) धारा (ड) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी गयी थी अर्थात् :—

"(ड) विद्यमान पंजाब राज्य के सम्बन्ध में "उत्तराधिकारी राज्य" का तात्पर्य पंजाब राज्य या हरियाणा राज्य या हिमाचल प्रदेश राज्य से है और चण्डीगढ़ के संघीय क्षेत्र के सम्बन्ध में संघ भी इस में शामिल है।"

[सं० एफ० 12(12)-बी०/71]

बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972